



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-3971-औसं0-17/पाकालि/2024-159-ए0/67

दिनांक : 24 दिसम्बर, 2024

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,

विद्युत वितरण निगम लि0, एवं केस्को,

वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुसूचन अधिनियम-1966 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-866-24-पी-2-24-1(121)/04 दिनांक 06.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औसं0)

संख्या:- 3971(I) औसं-17/पाकालि/2024- तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ0प्र0 शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-866-24-पी-2-24-1(121)/04 दिनांक 06.12.2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोपरि।

Pranav

(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औसं0)

संख्या:- 3971(II) औस-17/पाकालि/2024- तददिनांक :-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नक :- यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)

3921-17/12/24
क्रमांक

ई-मेल द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

465

अधिसूचना

आदेश

R.D. 12/24

D.D. 9/12/25

युक्त राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 मस 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या-814/24-पी-2-2024, दिनांक 04.07.2024 को अवकमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर विद्युत निगम लि०, कानपुर, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर, 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध

अतः अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

सर्वश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

Div(PA)

07/12/24

(संयुक्त कुमार)

प्रमुख निदेशक, प्रतिनिधि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशवाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित उक्त आदेश को दिनांक 07.12.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कराकर 250 मुह्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है।

आज्ञा से,

सर्वश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

Gm(R)

07/12/24
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

2094
09/12/24

50 कारक रखा

पायरे
पोस्ट
का पत्रलिख उत्तर

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. भा. 1. नैटेशक, 3000 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

संज्ञा: निदेशक, उ०प० राज्य विपुल उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

(ग) प्लांट निर्देशक उ०प० पावर ट्रांसमिशन कंरपोरेशन लि०, लखनऊ।

(८) समस्त जिलाधिकारी, ५०५०।

(६) सम्मस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भर्तियों को जल्द करे।

गुप्तम निदेशक उ०प० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ पणित कि वे आदेश का निम्न रूप से प्रकाशित करें।

60. 1957 6-19: 101-11

१८५५ ई. १२५३, कलकत्ता

1. माधव विद्यालयाच्या ज्ञानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी (प्रा.सं.) ज्ञानपुर।

[illegible]

१. प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी।

(13) पद-विनिर्देश पत्रिमाद्यस विद्युत वितरण विभाग में भेजें।

(11) प्रत्यक्ष निर्देशक दक्षिणार्धचन्द्र धियुत वितरण निगम नि: ३५०॥

(15) योफन अनुभाग-2 एवं ऊजा अनुभाग-1/3/ऊजा निजी निजान प्रकोष्ठ।

(सं:) नंबर सि/

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/24-P-2-2024-1(121)/04, Dated 06.12.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No. 866/24-P-2-2024-1(121)/04
Lucknow: Dated 06.12.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor, by Superseding the Previous Notification No.814/24-P-2-24, Dated 04.07.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kutchipar Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

SARVESH KUMAR SINGH
JOINT SECRETARY